

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6852/2022

बिजेंद्र सिंह पुत्र पोहप सिंह, ओडेला रोड, दुर्गा कॉलोनी, धौलपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, जयपुर, आयकर विभाग, एनसीआर बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर।
2. आयकर अधिकारी, वार्ड-1, आयकर विभाग, गोवर्धन गेट, प्रधान डाकघर के पास, भरतपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री प्रियेश कासलीवाल और श्री राहुल पंड्या।  
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री अनुरूप सिंघी, श्री एन.एस. भाटी के साथ।  
एवं श्री आदित्य खण्डेलवाल।

माननीय श्रीमान. जस्टिस अरुण भंसाली

माननीय श्रीमान. जस्टिस आशुतोष कुमार

आदेश

प्रकाशनीय

04/01/2024

1. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जो आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 148ए (बी) के तहत जारी पूर्व-पुनर्मूल्यांकन नोटिस दिनांक 16.03.2022 (अनुलग्नक 1), अधिनियम की धारा 148ए (डी) के तहत पारित आदेश दिनांक 27.03.2022 (अनुलग्नक 4) और अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी नोटिस दिनांक 27.03.2022 (अनुलग्नक 5) से व्यथित है।

2. अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी इंगित किया गया है कि याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 148ए (बी) के तहत दिनांक 16.03.2022 को नोटिस (अनुलग्नक 1) जारी किया गया था, जिसमें उसे 23.03.2022 तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, जो नोटिस अधिनियम की धारा 148ए (बी) के प्रावधानों की आवश्यकता के विपरीत है, जिसके लिए कम से कम सात दिनों का नोटिस आवश्यक है। प्रस्तुतियाँ दी गई हैं कि 16.03.2022 और 23.03.2022 के दिनों को बाहर रखा जाना चाहिए, और चूँकि शेष समय सात दिनों से कम है, इसलिए जारी किया गया नोटिस गलत है।

3. आगे दलील दी गई है कि जारी किया गया नोटिस अधिनियम की धारा 149(1) (ए) के तहत समय सीमा के कारण वर्जित है, क्योंकि इसमें शामिल राशि 50,00,000/- रुपये से कम है और आकलन वर्ष 2015-16 के लिए, ये नोटिस तीन साल बीत जाने के बाद जारी किए गए हैं और इस तरह नोटिस अधिकार क्षेत्र के बिना होने के कारण रद्द और रद्द किए जाने योग्य है।

4. दलील यह भी दी गई है कि प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सामग्री से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को जारी किया गया नोटिस याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया था और विभाग को 28.03.2022 को वापस प्राप्त हुआ था, हालांकि, अधिनियम की धारा 148ए(डी) के तहत आदेश 27.03.2022 को ही पारित किया गया था, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्रतिवादियों ने किस तरह से कार्यवाही की है और इसलिए, प्रतिवादियों द्वारा शुरू की गई पूरी कार्यवाही रद्द और रद्द किए जाने योग्य है।

5. विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि चूँकि याचिकाकर्ता ने नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया, इसलिए प्रतिवादीगण आक्षेपित आदेश पारित करने के लिए विवश थे। आगे दलील दी गई कि जहां तक

अधिनियम की धारा 149(1)(ए) के तहत क्षेत्राधिकार को दी गई चुनौती का संबंध है, उक्त पहलू का निर्धारण केवल संबंधित प्राधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है और केवल याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए संकेतों के आधार पर उक्त दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

6. हालांकि, यह उचित रूप से दलील दी गई कि जारी किया गया नोटिस, जहां तक जवाब देने के लिए दिए गए समय का संबंध है, अधिनियम की धारा 148ए(बी) की आवश्यकता का अनुपालन नहीं करता है। यह प्रार्थना की गई कि मामले को प्राधिकारी को वापस भेजा जाए ताकि वह याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार अवसर प्रदान कर सके और उसके बाद एक नया आदेश पारित कर सके।

7. हमने पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

8. अधिनियम की धारा 148ए(बी) के तहत याचिकाकर्ता को आकलन वर्ष 2015-16 से संबंधित नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने बचत बैंक खाते में 42,15,000/- रुपये की नकद राशि जमा की है और फिर से यह संकेत दिया गया है कि उसने बैंक ऑफ बड़ौदा में खोले गए बैंक खाते में कुल 41,65,000/- रुपये की नकद राशि जमा की है। नोटिस में स्पष्टीकरण के साथ धारा 149(1)(बी) के प्रावधानों का भी आह्वान किया गया है, जो 50,00,000/- रुपये से अधिक की राशि होने की स्थिति में सीमा की विस्तारित अवधि को दस वर्ष तक प्रदान करता है।

9. नोटिस दिनांक 16.03.2022 है और याचिकाकर्ता को 23.03.2022 को या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को नोटिस कभी दिया ही नहीं गया, क्योंकि याचिका के जवाब में

प्रतिवादियों ने वह लिफाफा पेश किया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को नोटिस भेजा गया था और उसे प्रतिवादी विभाग को 'बिना डिलीवर' वापस कर दिया गया, जहाँ से यह 28.03.2022 को कार्यालय में प्राप्त हुआ। नोटिस भेजने से संबंधित डाक रसीद में 17.03.2022 की तारीख अंकित है।

10. अधिनियम की धारा 148ए(बी) के अनुसार, करदाता को नोटिस जारी करने की तारीख से 'सात दिनों से कम नहीं' लेकिन तीस दिनों से अधिक नहीं, नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर कारण बताओ नोटिस तामील करके उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक है।

11. ऐसे मामले में दिनों की गणना का पहलू जहाँ प्रावधान के तहत 'विशेष दिनों से कम नहीं' की सूचना की आवश्यकता होती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पायनियर मोटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम नगर परिषद, नागरेकोइल: ए.आई.आर. 1967 एससी 684 में निपटाया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इसे निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

"एक महीने से कम न होने" शब्दों का तात्पर्य यह है कि एक महीने की स्पष्ट सूचना देना आवश्यक था, अर्थात्, महीने के पहले और आखिरी दिन दोनों को बाहर रखा जाना था। मैक्सवेल द्वारा विधियों की व्याख्या, 10वें संस्करण, पृष्ठ 351 पर प्रयुक्त भाषा में कहें तो:-

"..जब..... 'इतने दिनों से कम नहीं' का अंतराल हो, तो दोनों अंतिम दिनों को गणना से बाहर रखा जाता है।"

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि 'से कम नहीं ...' शब्दों की आवश्यकता का अनुपालन करने के उद्देश्य से दोनों अंतिम दिनों को बाहर रखा जाना चाहिए। दिन"। बेशक, वर्तमान मामले में, 16.03.2022 का नोटिस 17.03.2022 को जारी/पोस्ट किया गया था और प्रतिक्रिया के लिए निर्धारित तिथि

23.03.2022 थी। दो दिन यानी नोटिस भेजने की तारीख और बताई गई अंतिम तारीख को छोड़कर, भले ही नोटिस याचिकाकर्ता को प्राप्त हो गया हो, यह अधिनियम की धारा 148ए(बी) के प्रावधानों के तहत सात दिनों की अवधि से कम है; और इस तरह, अधिनियम की धारा 148ए(बी) के अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, याचिकाकर्ता को जारी नोटिस कायम नहीं रखा जा सकता है।

13. जहां तक अधिनियम की धारा 149(1)(ए) से संबंधित सीमा से संबंधित दलील का संबंध है, जैसा कि पहले देखा गया है, नोटिस बैंक ऑफ बड़ौदा में याचिकाकर्ता के बैंक खाते से संबंधित था। याचिकाकर्ता ने रिकॉर्ड पर अनुलग्नक 2 रखा है, जो खाते का विवरण है याचिकाकर्ता के खाते में 01.04.2014 से 31.03.2015 की अवधि के खाते हैं, जो आकलन वर्ष 2015-16 से संबंधित हैं। खाते के उक्त विवरण में तीन अलग-अलग तारीखों पर जमा की तीन नकद प्रविष्टियां यानी रु 2,65,000/-, रु 50,000/- और रु 39,00,000/- हैं, जिनका कुल योग रु 42,15,000/- होता है। नोटिस में रु 42,15,000/- की उक्त राशि का संकेत दिया गया है, हालांकि, उक्त नोटिस में रु 41,65,000/- की राशि जमा करने का एक और संकेत दिया गया है। अधिनियम की धारा 148ए(डी) के तहत पारित आदेश में, मूल्यांकन प्राधिकारी ने केवल रु 42,15,000/- और 41,65,000/- की उक्त राशि को दोहराया है, उक्त राशि को और पुष्ट करने के लिए कुछ भी संकेत नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा जमा किया गया है। रिट याचिका के जवाब में भी, प्रतिवादियों द्वारा खाता विवरण (अनुलग्नक 2) पर विवाद नहीं किया गया है और/या यह इंगित करने का प्रयास करते हुए मामला बनाया गया है कि याचिकाकर्ता के पास अनुबंध 2 के रूप में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए खाते के अलावा कोई अन्य बैंक खाता है। अनुबंध 2, जैसा कि पहले देखा गया है, केवल 42,15,000/- रुपये की राशि इंगित करता है, जो स्पष्ट रूप से 50,00,000/- रुपये से कम है।

14. अधिनियम की धारा 149(1)(ए) में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 148 के तहत संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, यदि संबंधित कर निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष बीत चुके हैं। उक्त प्रावधान का अपवाद खंड (बी) के तहत प्रदान किया गया है, जिसमें दस वर्षों तक नोटिस जारी किया जा सकता है, जहां बची हुई कर निर्धारण राशि 50,00,000/- रुपये या अधिक है।

15. जैसा कि वर्तमान मामले में है, राशि इससे कम है 50,00,000/- रुपये और निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए, नोटिस 16.03.2022 को जारी किया गया है, अर्थात् तीन वर्षों से अधिक, यह पूर्व-दृष्ट्या सीमा द्वारा वर्जित है और परिणामस्वरूप अधिकार क्षेत्र के बाहर है।

16. प्रतिवादियों द्वारा शक्तियों का यांत्रिक प्रयोग इस तथ्य से भी परिलक्षित होता है कि यद्यपि याचिकाकर्ता को भेजा गया नोटिस 28.03.2022 को वापस आ गया और कार्यालय में प्राप्त हुआ, प्राधिकारी ने इस तथ्य की परवाह किए बिना कि याचिकाकर्ता को भेजा गया नोटिस तामील हुआ है या नहीं, 27.03.2022 को अधिनियम की धारा 148ए(डी) के तहत आदेश पारित कर दिया, जो अधिनियम के तहत शक्ति का यांत्रिक प्रयोग है, किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

17. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। अधिनियम की धारा 148ए(बी) के तहत जारी दिनांक 16.03.2022 (अनुबंध 1) का नोटिस, अधिनियम की धारा 148ए(डी) के तहत पारित दिनांक 27.03.2022 (अनुबंध 4) का आदेश और अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी दिनांक 27.03.2022 (अनुबंध 5) का नोटिस रद्द किया जाता है और उसे रद्द किया जाता है।

(आशुतोष कुमार), जे

(अरुण भंसाली),जे

54-डीजे/

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निशपादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी